झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

बाबा बैद्यनाथधाम–बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

बाबा बैद्यनाथधाम–बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
2.	प्राधिकार का गठन
3.	प्राधिकार की शक्तियां एवं कृत्य
4.	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, अपर जिला दण्डाधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक की शक्तियां एवं कार्य
5.	कार्यकारी परिषद का गठन
6.	प्रकीर्ण
7.	वित्त, लेखा और अंकेक्षण

बाबा बैद्यनाथधाम–बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

प्रस्तावनाः–झारखण्ड राज्य के देवघर एवं बासुकीनाथ (दुमका) के बाबा बैद्यनाथधाम एवं बासुकीनाथ धाम तीर्थ क्षेत्र सहित श्रावणी मेला के विकास, विनियमन और प्रबंधन हेतु प्राधिकार का गठन करने के लिए विधेयक।

झारखण्ड राज्य के देवघर एवं बासुकीनाथ (दुमका) में धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला "श्रावणी मेला" का आयोजन प्रति वर्ष होता है जिसमें स्थानीय लोगों के साथ–साथ देश एवं विदेश से भी लाखों की सख्या में लोग भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त सालों भर बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री भी इन तीर्थ स्थलों के भ्रमण पर आते हैं। राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यकता महसूस की गयी है कि हिन्दी मास श्रावण (जुलाई–अगस्त) में प्रति वर्ष राज्य में आयोजित बाबा बैद्यनाथ धाम एवं बासुकीनाथ धाम तीर्थ क्षेत्र सहित श्रावणी मेला के विकास, विनियमन एवं प्रबंधन हेतु एक प्राधिकार का गठन किया जाय, जिसमें सरकारी एवं गैर–सरकारी सदस्यों की भागीदारी हो।

झारखण्ड विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के छियासठवें वर्ष में अधिनियमित किया जाता है।

अध्याय–1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ –

(1) यह अधिनियम बाबा बैद्यनाथधाम–बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार मंदिर प्रांगण सहित सम्पूर्ण बाबा बैद्यनाथधाम क्षेत्र, बासुकीनाथधाम मंदिर प्रांगण, देवघर तथा दुमका (बासुकीनाथ) जिला का मेला क्षेत्र तथा कोई अन्य क्षेत्र जो झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, में होगा।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियम करे।

2. परिभाषाएँ – जबतक कि विषय या संदर्भ में कोई विरूद्ध बात न हो, इस अधिनियम में –

(क) "तीर्थ क्षेत्र" से अभिप्रेत है बाबा बैद्यनाथधाम मंदिर प्रागंण, बासुकीनाथ धाम मंदिर प्रांगण, अन्य क्षेत्र एवं स्थल जहाँ तीर्थ यात्रियों का आगमन, ठहराव, भ्रमण हो तथा मेला सहित ऐसे क्षेत्र जहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक संस्कार तथा अन्य क्रिया कलाप किया जाय।

(ख) "मेला" से अभिप्रेत श्रावणी मेला से है जिन्हें राज्य सरकार बाबा बैद्यनाथधाम–बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम द्वारा प्रबंधन में लाने के लिए अधिसूचित करें;

(ग) "प्राधिकार" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा–3 के अधीन गठित बाबा बैद्यनाथधाम–बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार;

(घ) "तीर्थयात्री" के अंतर्गत वह व्यक्ति आता है जो तीर्थस्थल की यात्रा, अन्य उद्देश्य के अतिरिक्त ऐसे अनुष्ठानों का पालन करने के लिए करे जो तीर्थयात्री द्वारा सामान्यतया पालन किया जाता है;

(ङ) "मुख्यमंत्री" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री;

(च) "मंत्री" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्य;

(छ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है संथाल परगना (दुमका) के प्रमण्डलीय आयुक्त;

(ज) "सचिव" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त किसी विभाग का प्रधान सचिव/सचिव;

(झ) "उपायुक्त" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त ज़िला दंडाधिकारी–सह–उपायुक्त;

(ञ) "पुलिस अधीक्षक" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त जिला का पुलिस अधीक्षक;

(ट) "अपर जिला दण्डाधिकारी" से अभिप्रेत है भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी जो झारखण्ड सरकार के द्वारा CrPC के अन्तर्गत अपर जिला दण्डाधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत किये गये हो;

(ठ) "अपर पुलिस अधीक्षक" से अभिप्रेत है भारतीय पुलिस सेवा/राज्य पुलिस सेवा के पदाधिकारी जो झारखण्ड सरकार के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत किये गये हो;

(ड) "अनुमंडल पदाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त अनुमण्डल के लिये अनुमण्डल पदाधिकारी;

(ठ) सांसद से अभिप्रेत है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो किसी खास संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं;

(ण) विधायक से अभिप्रेत है संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित विधायक;

(त) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली द्वारा विहित;

(थ) "विनियमावली" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार द्वारा बनाई गई विनियमावली;

(द) "नियमावली" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली।

अध्याय–2

प्राधिकार का गठन

3. प्राधिकार का गठन –

(i) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार बाबा बैद्यनाथधाम–बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार नामक एक प्राधिकार का गठन, ऐसी तारीख के प्रभाव से करेगी, जो राज्य सरकार इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(ii) प्राधिकार निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर गठित किया जाएगा:–

(क) मुख्यमंत्री – अध्यक्ष

(ख) पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग/मंत्रालय का प्रभारी मंत्री – उपाध्यक्ष

(ग) मुख्य सचिव – उपाध्यक्ष

(घ) सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग – सदस्य

(ङ) सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग – सदस्य

(च) सचिव, स्वास्थ्य विभाग – सदस्य

(छ) पुलिस महानिदेशक – सदस्य

(ज) आयुक्त, संथाल परगना – सदस्य–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

(झ) उपायुक्त, देवघर – सदस्य

(ञ) उपायुक्त, दुमका – सदस्य

(ट) पुलिस उप महानिरीक्षक, संथाल परगना – सदस्य

(ठ) महापौर, देवघर नगर निगम – सदस्य

(ड) बासुकीनाथ नगर पंचायत का प्रमुख – सदस्य

(ढ) सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग–सदस्य सचिव

(ण) बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर तथा बासुकीनाथ मंदिर क्षेत्र के सांसद – सदस्य

(त) बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर तथा बासुकीनाथ मंदिर क्षेत्र के विधायक – सदस्य

(थ) झारखण्ड हिन्दू धर्म ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि – सदस्य

(द) पंडा धर्म रक्षिणी सभा (देवघर स्थित) के प्रमुख तथा एक अन्य प्रतिनिधि – सदस्य

(ध) बासुकीनाथ धाम स्थित पंडा (पुजारियों) के किसी संगठन का प्रतिनिधि – सदस्य

(न) दो गणमान्य गैर सरकारी व्यक्ति, जो बाबा बैद्यनाथ धाम तथा बासुकीनाथ धाम तीर्थ क्षेत्र के विकास में अभिरूची रखते हों, तीन वर्ष के लिए राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जायेंगे – सदस्य

(iii) यदि कंडिका 3(ii) या कंडिका 21 में वर्णित अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य हिन्दू धर्म का नहीं हो तो राज्य सरकार किसी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति जो हिन्दू धर्म मानता हो, समान स्तर के पद पर हो तथा समान प्रकार का कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, को उसके स्थान पर नामित कर सकती है।

(iv) बाबा बैद्यनाथ धाम–बासुकिनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्रधिकार (संक्षेप में प्राधिकार) विनियमावली द्वारा, यथा अवधारित रीति से तथा प्रयोजन के लिए, ऐसे किसी व्यक्ति को सहयुक्त कर सकेगा, जिसकी सहायता और परामर्श इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन करने में वह लेना चाहता हो तथा इस प्रकार सहयुक्त व्यक्ति को प्राधिकार की वैसी चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा जो उस प्रयोजन के सुसंगत हो जिसके लिए उसे सहयुक्त किया गया हो, लेकिन वह मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(v) प्रधिकार तीर्थ क्षेत्र में, विशेषकर श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों के कल्याण, बचाव, सुरक्षा एवं उनके लिए सुविधाओं के संदर्भ में, विकास तथा मेला विशेष से प्राप्त होने वाले राजस्व में अभिवृद्धि सहित संसाधनों, वित्तीय प्रबंधन सुरक्षा एवं मेला के महत्व तथा उपयोगिता के अन्य विषयों आदि को संबर्द्धित करने के लिए नीति, निर्देश, कार्यान्वयन, नये–नये तरीकों एवं वाह्यश्रोत से आगन्तुकों के कल्याण एवं सुविधा विषयक मसलों पर समय–समय पर विचार–विमर्श कर पहल कर सकेगा तथा प्रमण्डलीय एवं जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं मेला प्रबंधन व्यवस्था के संबद्ध सभी विभागों के पदाधिकारियों को तदनुसार परामर्श एवं निदेश दे सकेगा।

(vi) प्राधिकार के मुख्यालय देवघर (संथाल परगना) में होगा।

4. प्राधिकार के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की शक्तियां का कृत्य –

(1) प्राधिकार का अध्यक्ष प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त प्राधिकार की ऐसी शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग एवं निर्वहन करेंगे जो उन्हें प्राधिकार द्वारा प्रत्यायोजित किया जाय और यथाविहित शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का पालन करेगा। आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यक्ष प्राधिकार के उद्येश्यों के आलोक में कोई भी निर्णय ले सकेगा लेकिन इस प्रकार के निर्णय पर प्राधिकार का विमर्शोपरांत अभिपुष्टि करा लिया जाएगा।

(2) प्राधिकार का उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग एवं निर्वहन करेगा जो उसे विहित किये जाय या अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किया जाय।

5. सदस्यों को पद से हटाया जाना – राज्य सरकार वैसे किसी सदस्य को प्राधिकार से हटा सकेगी जो उसकी राय में –

(क) कार्य करने से इन्कार करता हो;

(ख) कार्य करने में असमर्थ हो;

(ग) अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग करता हो जिससे कि लोक या सरकारी हित में उसका पद पर बना रहना हानिकारक हो; या

(घ) सदस्य के रूप में बना रहना अन्यथा अनुपयुक्त हो;

6. प्राधिकार का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी तथा अपर जिला दण्डाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी –

i. सरकार द्वारा अधिसूचित एक अपर जिला दण्डाधिकारी होंगे जो मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को सहयोग करेंगें तथा जिला दण्डाधिकारी के अधीन कार्यरत रहेंगे। साथ ही मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के निर्देशानुसार प्राधिकार के मामलों का निष्पादन करेंगे।

ii. सरकार के द्वारा अधिसूचित एक अपर पुलिस अधीक्षक होगा जो पुलिस अधीक्षक के अधीन कार्यरत रहेंगे।

iii. तीर्थ क्षेत्र हेतु सरकार जैसा व्यावहारिक महसूस करें, अनुमण्डल एवं पुलिस स्टेशन को एक विशेष अवधि हेतु अधिसूचित कर सकती है, यदि प्राधिकार मेला अवधि हेतु इसका समर्थन करें और इसके अतिरिक्त अपर अनुमण्डल दण्डाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस अधिकारी को प्रतिनियुक्त करेगी।

7. प्राधिकार की बैठकें –

i. प्राधिकार की बैठक साल में कम–से–कम दो बार आयोजित होगी, जिसमें से श्रावणी मेला के आयोजन से तीन माह पूर्व कम–से–कम एक बैठक अवश्य आयोजित होगी।

ii. प्राधिकार श्रावणी मेला के आयोजन के उद्देश्य से किसी भी समय बैठक कर सकती है अथवा आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष की इच्छानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकेगी।

अध्याय–3

प्राधिकार की शक्तियां एवं कृत्य

8. प्राधिकार की शक्तियां एवं कृत्य –

i. प्राधिकार तीर्थ क्षेत्र के साथ साथ मंदिर प्रांगण के भी समुचित कार्य–संचालन, विकास, विनियमन और प्रबंधन के साथ श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के कल्याण, सुरक्षा एवं सुविधाओं के संबंध में निर्णय ले सकेगी।

ii. प्राधिकार राजस्व स्रोतों को संबर्द्धित करने के लिए नीति निर्धारण करने, अनुशंसा करने, निधि की व्यवस्था, अनुदान, बाह्य स्रोत, सरकार अथवा स्रोतों से करने के लिए निर्देशित कर सकेगा।

iii. प्रवेश एवं Toll शुल्क लगाना– प्राधिकार सुख–सुविधाओं का उपबंध करेगा और सरकार के अनुमोदन से प्राधिकार को किसी एक अवधि के लिये, समय–समय पर राज्य मेला प्राधिकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले यंत्र–चालित परिवहन, आवास–गृहों तथा खुदरा दुकानदारों, मनोरंजन (थियेटर, सर्कस आदि)

कार्यक्रमों, विज्ञापनों एवं ऐसी मदों, जिसे प्राधिकार उचित समझें, पर प्रवेश शुल्क और अधिभार अधिरोपित करने की शक्ति होगी और जो भिन्न–भिन्न कार्यों या स्थानों के लिए एक ही या भिन्न हो सकती है। इसके साथ ही उक्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर वाहन, पशु या कोई व्यक्ति जो सामान को व्यापार हेतु लाता है या विक्रेता हो पर भी टॉल (Toll) शामिल है। साथ ही इस क्षेत्र के अन्दर विक्रय होने वाली पशुओं का निबंधन शुल्क शामिल है।

iv. **सुख सुविधाएँ उपलब्ध कराने की शक्ति** – प्राधिकार मेला सहित तीर्थ क्षेत्र से संबंधित पर्यटकों, तीर्थ यात्रियों, अन्य व्यक्तियों या समितियों, व्यक्तियों के समुह को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायेगा तथा इस हेतु जिम्मेदार भी होगा एवं इन सुविधाओं हेतु प्राधिकार शुल्क अधिरोपित कर सकेगा।

v. प्राधिकार श्रद्धालुओं, गरीब, निःसहाय एवं तीर्थ क्षेत्र से संबंधित अन्य ऐसे लोगों हेतु परोपकारी कार्यक्रमों का उत्तरदायित्वतापूर्वक आयोजन कर सकती है।

vi. प्राधिकार के पास अनुमण्डल एवं जिला स्तर के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ तीर्थ क्षेत्र के विकास, प्रशासन एवं प्रबंधन में जुड़े सभी विभागों के पदाधिकारियों को सलाह देने एवं निर्देशित करने की शक्ति होगी।

vii. प्राधिकार के पास तीर्थ क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान तैयार कर सकेगा एवं तीर्थ संबंधी कार्यकलापों के साथ–साथ मनुष्यों तथा पशुओं के लिए नुकसानदेह होने वाले खतरनाक कृत्यों को रोकने के लिए प्रतिबंध अधिरोपित करने हेतु नीति बना सकेगा।

viii. लाईसेंस देने का अधिकार–प्राधिकार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को निर्धारित शुल्क के भुगतान के उपरान्त विहित नियमों के अन्तर्गत तीर्थ क्षेत्र में कोई भी रोजगार, व्यवसाय या आजीविका चलाने हेतु लाईसेंस निर्गत कर सकता है।

9. **मेला प्राधिकार की विशेष शक्तियाँ** – प्राधिकार, श्रावणी मेला के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुये अथवा इस संबंध में अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना पर, प्राधिकार के अधीन नये क्षेत्र अथवा श्रद्धालुओं से संबंधित कार्यों अथवा प्राधिकार के अन्तर्गत अन्य कार्यों को सन्निहित करने की अनुशंसा राज्य सरकार को कर सकेगी।

10. नियंत्रण एवं मार्गदर्शन – मेला अवधि के दौरान अथवा प्राधिकार के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत क्रियाकलापों हेतु मेला के प्रबंधन सहित तीर्थ क्षेत्र के विकास से संबद्ध राज्य सरकार के सभी विभागों, प्रमण्डलों, जिला तथा अन्य क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारीगण एवं कर्मियों के साथ–साथ स्थानीय निकायों के अधिकारियों एवं कर्मी प्राधिकार के दिशा निदेश में कार्य करेंगे।

11. कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा – प्राधिकार को मेले के प्रबंधन सहित तीर्थ क्षेत्र के विकास से संबद्ध राज्य सरकार के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये प्रचलित अधिनियम और नियमावली के अनुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की शक्ति होगी।

12. नियम बनाने की शक्ति –

(1) प्राधिकार इस अधिनियम के उद्येश्यों को पूर्ण करने हेतु नियम बना सकता है, तथा जो विशेष कर –

i. प्राधिकार में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को कार्य आवंटन

ii. तीर्थ क्षेत्र में सफाई व्यवस्था

iii. मेले का सफल आयोजन

(2) प्राधिकार के द्वारा बनाये गये नियम राज्य सरकार के द्वारा मूल्यांकित होने के उपरान्त लागू किया जायेगा।

अध्याय–4

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, अपर जिला दण्डाधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक की शक्तियां एवं कार्य

13. मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (CEO) – मेला सहित तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधन हेतु राज्य सरकार CrPC 1973 के तहत् परिभाषित जिला दण्डाधिकारी की शक्तियों के साथ–साथ अन्य शक्तियों को मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को प्रत्योजित करेगी।

14. मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (CEO) प्राधिकार द्वारा दिये गये कार्यों एवं दायित्वों का निर्वाह करेगा।

15. अन्य कार्यों के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (CEO) के पास निम्न शक्तियाँ एवं कार्य प्रदत्त होंगे –

(क) विधि व्यवस्था के नियंत्रण पर नज़र रखना और उस पर नियंत्रण बनाये रखने के लिए हर संभव आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठाना। साथ ही साथ जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित प्रक्षेत्रों के पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) की सलाह पर दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्त करना।

(ख) तीर्थ क्षेत्र के अंदर वाहनों, जानवरों एवं किसी व्यक्ति द्वारा व्यापार हेतु लाये जाने वाले सामानों पर प्रवेश शुल्क (Toll) अधिरोपित करना तथा साथ ही प्राधिकार से विमर्शोपरान्त मेला क्षेत्र के अंदर व्यापारिक, व्यवसायिक गतिविधियों के निबंधन पर शुल्क अधिरोपित करना।

(ग) प्राधिकार में विमर्शोपरान्त एवं पारित होने के उपरान्त ही तीर्थ क्षेत्र के अंदर मेले से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए अस्थायी तौर पर सरकारी जगह उपलब्ध कराना जिसमें निम्न प्रकार के कार्य शामिल होंगे :–

i. तीर्थ क्षेत्र से संबंधित धार्मिक संस्थाऐं एवं संगठन।

ii. समाजिक तथा अन्य प्रकार के संघ एवं संस्थाएं।

iii. कार्यालय संबंधी।

iv. बजार स्थल।

v. शौचालय, मुत्रालय एवं कूड़े के ढेर।

vi. स्नानागार।

vii. विश्राम एवं मनोरंजन ।

viii. अन्य प्रदर्शनी एवं प्रदर्शन हेतु।

(घ) स्थानीय गैर सरकारी संगठन, जन प्रतिनिधियों, सरकारी पदाधिकारियों, स्थानीय प्राधिकार एवं राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना।

(ङ) आग लगने की स्थिति में किसी भी निर्माण को हटाने, जिससे प्रभावित व्यक्ति या संस्था को न्यूनतम हानि हो, का अधिकार।

(च) अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी प्रकार के जुर्माने को लागू करना।

(छ) तीर्थ क्षेत्र में अन्य पदाधिकारियों को किसी भी अवधि के लिए कोई या ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित करना जो सरकार द्वारा विशेष उद्येश्यों हेतु अधिसूचित हो।

16. उपधारा 12(1) के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (CEO) भगदड़ तथा आग लग जाने के स्थिति में समुचित दिशा निर्देश दे सकेगा विशेष कर निम्न उद्येश्यों के लिए :–

i. तीर्थ क्षेत्र में बने भवन एवं संरचनाओं तथा लाये गये सामानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

ii. तीर्थ क्षेत्र में बने झोपड़ियों एवं अन्य संरचनाओं की उँचाई सीमा एवं निर्माण क्षेत्र तथा संरचनाओं के मध्य के दूरी निर्धारित करने संबंधी शर्त्तों को सुनिश्चित करना।

iii. तीर्थ क्षेत्र या अन्यत्र में बालू एवं जल पेटी की आपूर्ति संबंधी।

iv. खाना बनाने या किसी अन्य उद्देश्य से आग के उपयोग पर प्रतिबंध।

17. मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (CEO) किसी भी अनाधिकृत निर्माण जो तीर्थ क्षेत्र के मास्टर प्लॉन के अनुरूप न हो, हटा सकते है तथा उक्त हटाने के कार्य में खर्च हुए राशि की वसूली अनाधिकृत निर्माण करने वाले व्यक्ति से की जायेगी, जो बकाया भूमि राजस्व के रूप में होगी।

18. मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (CEO) या अन्य पदाधिकारी जिसे मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा यह शक्ति प्रत्यायोजित हो इस अधिनियम की धारा 23 के तहत् व्यक्तियों को दण्डित कर सकेगा।

19. **अपर पुलिस अधीक्षक की शक्तियाँ एवं कर्तव्य** – अपर पुलिस अधीक्षक की निम्न शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे :–

(क) संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में कार्य करना।

(ख) मेला सहित प्राधिकार के कार्यकलापों में, जो वह सहायता योग्य आवश्यक समझे, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को सहायता प्रदान करना।

(ग) प्राधिकार के निर्णयों को लागू करना।

(घ) तीर्थ क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला दण्डाधिकारी से विमर्श कर तीर्थ क्षेत्र में पुलिस सब डिविजन, स्थानीय पुलिस स्टेशन के सृजन के संबंध में

प्राधिकार को परामर्श देना, जबकी नियमित अपराधिक अनुसंधान के मामले मूल पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत रहेंगे।

(ङ) स्थानीय प्रशासन एवं प्राधिकार से समन्वय स्थापित करना।

20. अपर जिला दण्डाधिकारी की शक्तियाँ एवं कर्तव्य – अपर जिला दण्डाधिकारी की निम्न शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे :–

(क) मेला क्षेत्र सहित तीर्थ क्षेत्र में जिला दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करना।

(ख) मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के कार्यकलापों, जो वह सहायता योग्य आवश्यक समझे, में सहायता प्रदान करेंगे।

(ग) प्राधिकार के निर्णयों को लागू करना।

(घ) तीर्थ क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला दण्डाधिकारी से विमर्श कर पुलिस सब डिविजन, स्थानीय पुलिस स्टेशन के सृजन के संबंध में प्राधिकार को परामर्श देना, जबकी नियमित अपराधिक अनुसंधान के मामले मूल पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत रहेंगे।

(ङ) स्थानीय प्रशासन एवं प्राधिकार से समन्वय स्थापित करना।

अध्याय–5

कार्यकारी परिषद का गठन

21. मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (CEO) की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद होगा जो प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित एवं लागू करेगा।

1. कार्यकारी परिषद निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर गठित किया जायेगा :–

i. प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना, दुमका–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी – अध्यक्ष

ii. पुलिस उपमहानिरीक्षक, संथाल परगना, दुमका – सदस्य

iii. उपायुक्त, देवघर – सदस्य

iv. उपायुक्त, दुमका – सदस्य

v. पुलिस अधीक्षक, देवघर – सदस्य

vi. पुलिस अधीक्षक, दुमका – सदस्य

vii. कार्यपालक अभियंता, देवघर – सदस्य
(भवन निर्माण, पथ निर्माण, पेयजल एवं स्वच्छता, उर्जा, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

viii. नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम – सदस्य

ix. मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बासुकीनाथ नगर पंचायत – सदस्य

x. सिविल सर्जन, देवघर – सदस्य

2. यदि आवश्यकता हो तो प्राधिकार अन्य दो सदस्यों को मनोनित कर सकता है।

22. **कार्यकारी परिषद् की कार्य एवं शक्तियाँ** – कार्यकारी परिषद् के निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियाँ होंगी –

i. प्राधिकार के निदेश एवं निर्णयों को लागू करवाना।

ii. विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।

iii. तीर्थ क्षेत्र से संबंधित विषयों एवं समस्याओं के संबंध में प्राधिकार को परामर्श एवं प्रस्ताव देना।

iv. तीर्थ क्षेत्र में परियोजनाओं का वास्तविक रूप में कार्यान्वयन कराना या किसी अन्य विभाग के स्वीकृत एवं कार्यान्वित योजनाओं को सहायता प्रदान करना।

अध्याय–6

प्रकीर्ण

23. **सजा** – कोई भी व्यक्ति जो

(क) अनधिकृत संरचना का निर्माण करता हो, या

(ख) अनधिकृत स्थान को शौचालय, मूत्रालय एवं गंदगी फेकने हेतु उपयोग करता हो, या

(ग) धारा 8(viii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त लाईसेंस के बीना कोई व्यवसाय, व्यापार अथवा वृत्ति का संचालन करे अथवा अन्य कार्यकलाप जो इस लाईसेंस का उल्लंघन करता हो, या

(घ) अधिनियम द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किन्ही प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, या

(ङ) इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी लिखित आदेश या निर्देश का उल्लंघन करता हो,

के अपराध सिद्धि पर रूपये 1,000.00 तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। जुर्माने से दण्डित करने के उपरान्त यदि उल्लंघन फिर किया जाता है तो पुनः रूपये 1,000.00 तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। यदि पुनः उल्लंघन जारी रहता हो तो प्रथम बार दोषी पाये जाने के दिन से रूपये 100.00 प्रति दिन की दर से जुर्माने की राशि लगाई जा सकेगी।

(च) जहाँ कहीं भी कोई व्यक्ति, कंपनी, व्यवसायिक संस्थान, संगठन या कोई अन्य निकाय इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का जिम्मेदार होगा, उससे प्राधिकार (बाबा बैद्यनाथधाम–बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार) द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु नियुक्त/नामित अधिकारी द्वारा दण्ड वसूला जा सकता है।

(छ) यदि कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त/नामित अधिकारी द्वारा किये गये जुर्माने को निर्धारित समय के अंदर जमा करने में असफल होता है तो सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार एवं उड़िसा पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी अधिनियम, 1914 के अन्तर्गत वसूली जाएगी।

(ज) **अपील** –

(i) सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त/नामित अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकार, जो प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना, झारखण्ड होंगे, के समक्ष किया जा सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(ii) आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर अपील करना अनिवार्य होगा। आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के उपरान्त प्राप्त अपील के संबंध में यदि अपीलीय प्राधिकार को ऐसा प्रतीत हो कि किसी विशेष कारण से (अस्वस्थता या कोई अन्य परिस्थिति जिसमें अपील करना संभव नहीं हो सका हो) 30 दिनों के अन्दर अपील नहीं किया जा सका है तो ऐसी स्थिति में 30 दिनों के उपरांत भी अपील स्वीकार किया जा सकेगा।

(iii) किसी भी परिस्थिति में आदेश प्राप्त होने के 90 दिनों उपरांत प्राप्त अपील को स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।

24. प्राधिकार के कृत्य –

(1) इस अधिनियमके पूर्ववर्ती उपबंधों पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना प्राधिकार, इस अधिनियमके अधीन अपने कार्यों एवं कृत्यों के निर्वहन करने में नीति विषयक ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा जैसा कि राज्य सरकार उसे समय–समय पर लिखित रूप में दें।

(2) प्राधिकार के साथ साथ कार्यकारी परिषद पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

25. शक्तियों का प्रत्यायोजन – प्राधिकार, लिखित आदेश द्वारा, आदेश में यथाविनिर्दिष्ट शर्त्तो और सीमाओं के अधीन, प्राधिकार के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी या किसी अन्य सदस्य को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

26. आदेशों का अभिप्रमाणन – प्राधिकार के सभी आदेश एवं विनिश्चय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अथवा इस निमित्त प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से सत्यापित किये जायेंगे।

27. नेक नीयत से की गई कार्रवाई हेतु संरक्षण – इस अधिनियम के अन्तर्गत सद्भावना से किये गये कृत्यों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

28. प्राधिकार का अवक्रमण –

(i) यदि किसी समय राज्य सरकार की यह राय हो कि:–

(क) किसी गंभीर आपातिक स्थिति के कारण प्राधिकार इस अधिनियम के उपबंधों के द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों एवं कर्त्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ है; या

(ख) परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकार को अवक्रमित कर सकेगी।

(ii) प्राधिकार को अवक्रमित करने के लिये उप–धारा(i) के अधीन अधिसूचना प्रकाशित हो जाने पर प्राधिकार के सभी सदस्य प्राधिकार को अविक्रमित किये जाने की तारीख से अपना पद खाली कर देंगे;

(iii) उप–धारा के अधीन प्राधिकार का पुर्नगठन किए जाने तक, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या प्राधिकार द्वारा उसकी ओर से प्रयोग की जानेवाली और निष्पादित किये जानेवाली सभी शक्तियों का एवं कृत्यों और कर्त्तव्यों का, राज्य सरकार द्वारा यथा निर्देशित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निष्पादित किया जायेगा।

(iv) उप–धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवक्रमण अवधि की समाप्ति पर राज्य–सरकार;

(क) अवक्रमण की अवधि उतनी बढ़ा सकेगी जितनी वह आवश्यक समझे; या

(ख) अवक्रमण किये जाने के एक वर्ष के भीतर प्राधिकार का पुर्नगठन कर सकेगी।

29. **नियमावली बनाने की शक्ति** – प्राधिकार सरकार की पूर्व अनुमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियमके संगत इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये नियमावली बना सकेगी।

30. **प्राधिकार का प्रशासी विभाग** – प्राधिकार का प्रशासी विभाग पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची होगा।

31. **प्राधिकार का प्रशासी व्यवस्था** – प्राधिकार के मंत्रालय संबंधी दैनिक कार्य–कलापों के संचालन हेतु पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची तथा प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना का कार्यालय नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के द्वारा सहायता उपलब्ध करायेगा।

अध्याय–7

वित्त, लेखा और अंकेक्षण

32. तीर्थ क्षेत्र विकास निधि का गठन – तीर्थ क्षेत्र विकास और प्रबंधन निधि (SADMF) के नाम से एक निधि का गठन किया जायेगा और उसमें निम्नांकित जमा किये जायेंगे :–

i. राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकार को दिया गया कोई अनुदान और ऋण;

ii. इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार को प्राप्त शुल्क और अधिभार;

iii. राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित अन्य स्रोतों से प्राधिकार द्वारा प्राप्त सभी रकम;

iv. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्राप्त दान की राशि।

v. तीर्थ क्षेत्र के विकास हेतु किसी भी संस्था, समूह अथवा व्यक्ति से प्राप्त दान की राशि।

33. प्राधिकार का बैंक खाता – वसूल किया गया अधिभार और प्रवेश शुल्क अधिमानतः या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग खाता में जमा किया जायेगा।

34. अधिभार एवं प्रवेश शुल्क संग्रहण की रीति – अधिनियम की धारा–8(iii) के अधीन उद्गृहित अधिभार और प्रवेश शुल्क का संग्रहण एवं प्रबंधन इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए नियमों एंव विनियमों द्वारा यथा विनिश्चित रीति से किया जायेगा।

35. तीर्थ क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन निधि का उपयोग –

(1) तीर्थ क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन निधि का (SADMF) का उपयोग इस अधिनियम की धारा–8 के अधीन अपने कार्यो के निष्पादन में प्राधिकार के खर्चे को पूरा करने के लिये किया जायेगा।

(2) तीर्थ क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन निधि (SADMF) का उपयोग प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए होने वाले खर्च को पूरा करने के लिये किया जायेगा।

36. **बजट की तैयारी** – प्राधिकार हर वित्तीय वर्ष में निर्धारित समय एवं प्रपत्र में, अगले वित्तीय वर्ष के लिये अपना बजट तैयार करेगा जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों को दर्शाया जायेगा और उसे योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को अग्रसारित करेगा।

37. **वार्षिक प्रतिवेदन** – प्राधिकार, हर वित्तीय वर्ष में निर्धारित समय एवं प्रपत्र में, अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्य–कलापों का पूर्ण लेखा दिया जायेगा और उसे राज्य सरकार के राजस्व विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।

38. **लेखा एवं लेखा–अंकेक्षण** –

i. प्राधिकार के लेखा संधारण का दायित्व प्राधिकार के सचिव पर रहेगा।

ii. राज्य सरकार से प्राप्त निधि के लेखा का अंकेक्षण महालेखाकार, झारखण्ड के साथ–साथ वित्त विभाग के अंकेक्षण शाखा द्वारा किया जायेगा तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राधिकार को समर्पित किया जायेगा।

iii. प्राधिकार के वार्षिक लेखा का अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जायेगा जो बजट के साथ–साथ अंकेक्षण प्रतिवेदन भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग को अग्रसारित करेगा।

यह विधेयक बाबा बैद्यनाथधाम-बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार विधेयक, 2015 दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 70--50--18-1-2016